प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 03-09-2015 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 03-09-2015 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. चन्द्रकला पाडिया, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया (कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर)	अध्यक्ष
2.	डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
3.	डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
4.	प्रो. कैलाश डागा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
5.	डॉ. भुवनेश गुप्ता (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
6.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
7.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
8.	श्री भंवर सिंह चारण	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई :-

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-विशेष/2015/319

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी के पद पर नियुक्त श्री कुलदीप जैन की सेवा समाप्त किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 17-08-2015 के अनुमोदन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक दिनांक 17-12-2011 के विनिर्णय संख्या 183 के द्वारा विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी के पद हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा दिनांक 08-11-2011 का अनुमोदन करते हुए नियुक्ति प्रदान करने के निर्णय के फलस्वरूप विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 03(01)मगंसिविबी/संस्था/2011/34945-55 दिनांक 20-12-2011 के द्वारा श्री कुलदीप जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार पुगलिया, निवासी बीकानेर को दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में स्थिर पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। श्री कुलदीप जैन द्वारा दो वर्ष की सफलतापूर्वक सेवा प्रदान किये जाने के

उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(01)मगंसिविबी/ संस्था/2013/20986-993 दिनांक 31-12-2013 के द्वारा सम्पदा अधिकारी के पद पर इनकी सेवाओं का स्थाईकरण किया गया।

उक्त अवधि के दौरान सम्पदा अधिकारी के पद हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित अन्य अभ्यर्थी श्री दीपक माण्डन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में सम्पदा अधिकारी के पद पर की गई नियुक्ति के विरूद्ध याचिका (S.B. Civil Writ Petition No. 3879/2012) दायर की गई याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी निर्णय दिनांक 22-04-2015 (एकलपीठ) के अनुसार चयन समिति द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम, 1974 की धारा 6(4) के प्रावधानुसार साक्षात्कार हेतु उपस्थिति हुए अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेरिट लिस्ट एवं चयनित अभ्यर्थी के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची तैयार नही किये जाने के कारण सम्पदा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत चयन समिति की अनुशंसा दिनांक 08-11-2011 को खारिज किये जाने एवं उक्त पद हेतु पूर्व में आमंत्रित पात्र अभ्यर्थियों का पुनः साक्षात्कार आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये। उक्त निर्णय के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में खण्डपीठ में अपील (D.B. Civil Special Appeal No. 407/2015) दायर की गई। खण्डपीठ द्वारा उक्त अपील को आदेश दिनांक 13-07-2015 के द्वारा खारिज कर दिया गया। खण्डपीठ के उक्त निर्णय के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition (Civil) No. 22071/2015) दायर की गई जो दिनांक 10-08-2015 को खारिज कर दी गई। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना हेतु माननीय कुलपति महोदया की पत्रावली पर प्रदत्त आज्ञा दिनांक 14-08-2015 के अनुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(01)मगंसिविबी/संस्था/अशै.भ./2015/18053-18058 दिनांक 17-08-2015 के द्वारा सम्पदा अधिकारी पद पर कार्यरत श्री कुलदीप जैन की दिनांक 17-08-2015 को मध्यान्ह पश्चात से सेवाएं समाप्त करते हुए विश्वविद्यालय सेवा से पृथक कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में जारी उक्त आदेश दिनांक 17-08-2015 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री कुलदीप जैन की विश्वविद्यालय सेवा समाप्त करने हेतु जारी आदेश क्रमांक प.03(01)मगंसिविबी/संस्था/अशै.भ./2015/18053-18058 दिनांक 17-08-2015 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-विशेष/2015/320

सम्पदा अधिकारी पद हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 3879/2012 में पारित निर्णय दिनांक 22-04-2015 की पालना में विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी के पद पर चयन हेतु वर्ष 2011 में आमंत्रित समस्त 04 पात्र अभ्यर्थियों का दिनांक 02-09-2015 को पुनः साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है।

चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल की बैठक के दौरान प्रस्तुत कर दी जाएंगी जो प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी के 01 पद हेतु आयोजित चयन समिति की बैठक दिनांक 02-09-2015 की अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। साथ ही सम्पदा अधिकारी के पद हेतु जारी विज्ञापन एवं पात्र अभ्यर्थियों की समस्त विवरण सहित सूची भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

चयन समिति द्वारा सम्पदा अधिकारी के पद पर श्री कुलदीप जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार पुगलिया की नियुक्ति एवं श्री पन्ना लाल भादू पुत्र श्री खेताराम को प्रतीक्षा सूची में रखे जाने की अनुशंसा की गई। प्रबन्ध मण्डल द्वारा चयन समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी पद पर श्री कुलदीप जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार पुगलिया को नियुक्ति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(भंवर सिंह चारण)
कुलसचिव